



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026—चैत्र 10, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) (07).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70—क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में, अनुक्रमांक 47—क के सामने, कॉलम (3) में अंक “31 मार्च 2026” के स्थान पर अंक “31 मार्च 2027” प्रतिस्थापित किया जाए.

(2) यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्र. CT-4-0001-2022-Sec-1-पांच (CT) (07), दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2026

No. CT-4-0001-2022-Sec-1-V-(CT) (07).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in schedule I of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In Schedule-I of the said Act, in column (3), against serial number 47-A, for the number "31.03.2026", the number "31.03.2027" shall be substituted.

2. This notification shall come into force from 01.04.2026,

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJESH OGREY, Addl. Secy.